

वित्त विधेयक, 2007

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

प्रत्यक्ष-करों के क्षेत्र में वित्त विधेयक, 2007 के उपबंध निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:—

- (i) निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय कर की दरों का विहित किया जाना; उन दरों का विहित किया जाना, जिन पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहली से जीत की रकम, घुड़दौड़ से जीत की रकम, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की ऐसी कटौती या संग्रहण के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने या कर का संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।
- (ii) अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, कर आधार को व्यापक बनाने, कर-अपवंचन और परिवर्जन को रोकने, कतिपय उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध करने और पुनरीक्षित परिनिर्धारण स्कीम का उपबंध करने की दृष्टि से आय-कर का संशोधन।
- (iii) अन्य बातों के साथ, पुनरीक्षित परिनिर्धारण स्कीम के लिए उपबंध करने के लिए धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।
- (iv) बैंककारी नकद संव्यवहार कर के उपबंधों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन।

2. प्रत्यक्ष करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों के सार को निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है:—

आय-कर

आय-कर की दरें

I निर्धारण वर्ष 2007-08 की बाबत कर के लिए दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2007-2008 की बाबत कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के कर दाताओं (निगमित और साथ ही अनिगमित) की आय के संबंध में आय-कर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" में से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2006 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों, व्यक्तियों के संगम और व्यष्टि निकाय के मामले में, जिनकी, यथास्थिति, कुल आय या सीमांत फायदे 10,00,000/- रुपए से अधिक है, अध्याय-8क के अधीन रिबेट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म और देशी कंपनी की दशा में इस प्रकार संगणित कर में दस प्रतिशत अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। स्थानीय प्राधिकारी और सहकारी सोसाइटी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाता है। देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में ढाई प्रतिशत के अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की मूलभूत शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जो सभी मामलों में अधिभार सहित संदेय कर की रकम पर उद्ग्रहणीय होगा।

II. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय में से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2006 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

इस प्रकार कटौती की गई रकम में निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी:—

- (i) प्रत्येक व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों के संगम और व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, के ऐसे मामले में, जहां आय या संदत्त अथवा संभाव्य रूप से संदत्त की जाने वाली और कटौती के अधीन ऐसी आयों का योग दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
- (ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (31) के उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट, प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
- (iii) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली ऐसी आयों का कुल योग कटौती के अधीन एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली ऐसी आयों का कुल योग कटौती के अधीन एक करोड़ रुपए से अधिक है।

किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक एक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जो सभी मामलों में अधिभार सहित संदेय कर की रकम पर उद्ग्रहणीय होगा।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उसे वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक एक अतिरिक्त उपकर उद्ग्रहीत करना प्रस्तावित है (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) जिससे सभी मामलों में सरकार की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने तथा उसका वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

III. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, की दरें, "अग्रिम-कर" की संगणना और कतिपय मामलों में आय-कर का प्रभारण

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और साथ ही सभी प्रवर्गों के कर दाताओं के मामले में उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ये दरें, ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, वर्तमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान आय-कर के प्रभारण के लिए भी लागू होंगी। इनके अंतर्गत किसी अनिवासी को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर चोरी के लिए संपत्ति का अंतरण किए जाने की संभावना है या अत्यावधियों के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण, आदि।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित पैराओं में इंगित किया गया है:—

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (31) के उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब या व्यष्टियों के निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं अथवा व्यष्टियों के संगम या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में आय-कर की दरें भाग 3 के पैरा क में विनिर्दिष्ट की गई हैं (ऐसी दशा में नहीं जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है)।

- I. नीचे मद II और मद III में विनिर्दिष्ट मदों से भिन्न, व्यक्तियों के लिए आधारभूत छूट 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी दशाओं में कुल आय पर आय-कर की दर निम्नलिखित होगी—

1,10,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,10,001 से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

- II. ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, छूट की सीमा 1,35,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

1,45,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,45,001 से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

- III. ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक आयु का है, छूट की सीमा 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

1,95,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,95,001 से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

संगणित आय-कर की रकम में से, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर को ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय आय कर और अधिभार की कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

संगणित आय-कर की रकम में, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

ख. सहकारी सोसाइटियां

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरों को विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है।

पैरा ग में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

फर्म की एक करोड़ रुपए या कम आय होने की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सीमांत लाभों की रकम को विचार में लिए बिना, सीमांत लाभों पर अधिभार विद्यमान दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में अंतर्विष्ट की गई है यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ङ. कंपनी

कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं, जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ङ में संगणित आय-कर की रकम ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी के मामले में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के 10% की दर पर परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार से बंट जाएगी।

पैरा ङ में संगणित आय-कर की रकम देशी कंपनी से भिन्न ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर की ढाई प्रतिशत की दर पर परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ जाएगी।

सीमांत अनुतोष उपलब्ध होगा और ऐसे मामलों में एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की रकम जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए है या उससे कम है, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सीमांत फायदों की रकम को ध्यान में रखते हुए अधिभार, सीमांत फायदों पर कर की विद्यमान दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

संघ के प्रयोजनों के लिए 'आय-कर पर शिक्षा उपकर' नामक अतिरिक्त अधिभार आय-कर के दो प्रतिशत की दर पर और सभी मामलों में अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा, जिससे कि सरकार की सार्वभौमिक क्वालिटी की मूलभूत शिक्षा का वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

आय-कर और सभी मामलों में (अधिभार आय-कर पर शिक्षा उपकर को छोड़कर) एक प्रतिशत की दर पर 'आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' नामक एक अतिरिक्त अधिभार उद्ग्रहण करने का प्रस्ताव है जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का उपबंध करने और उसका वित्त पोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

[खंड 2]

कर आधार को व्यापक बनाना

पूंजी आस्तियों की परिधि को व्यापक बनाना

धारा 2 के खंड (14) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी पूंजी आस्ति से किसी निर्धारित द्वारा किसी भी प्रकार की धारित संपत्ति अभिप्रेत है चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या नहीं। निर्धारित या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए धारित वैयक्तिक वस्तुओं को पूंजी आस्तियों की परिभाषा की सीमा से अपवर्जित रखा गया है इस समय, जेवर ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो वैयक्तिक वस्तुओं की प्रकृति की हैं, परंतु जिन्हें पूंजी आस्तियों की परिभाषा में रखा गया है।

'पूंजी आस्तियों' की परिधि को व्यापक बनाने की दृष्टि से उपरोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वैयक्तिक वस्तुओं के अर्थ से पुरातत्वीय संकलन, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्तियों या किसी अन्य कला कृति को अपवर्जित किया जा सके। ऐसी वैयक्तिक वस्तुओं के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर लगेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

भारत की नई परिभाषा

धारा 2 के खण्ड (25क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन भारत में दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित समझा जाता है। उक्त परिभाषा धारा 6 के प्रयोजनों के लिए किसी अवधि के संबंध में है और 1 अप्रैल, 1963 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष हेतु कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पूर्व वर्ष में सम्मिलित किसी अवधि के संबंध में है। धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (टक) में भारत की समान परिभाषा उपबन्धित की गई है।

भारत की व्यापक परिभाषा का उपबन्ध करने के विचार से आय-कर अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (25क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि "भारत" संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है।

धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (टक) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि धन-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत की समान व्यापक परिभाषा का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 25 अगस्त, 1976 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3 और खंड 74]

धारा 36(1)(xii) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए कानूनी निगम या निगमित निकाय को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार में शक्ति निहित करना

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (xii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा उस अधिनियम, जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, द्वारा गठित या स्थापित किसी निगम या निगमित निकाय, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), उसकी आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है।

अधिनियम में यथासूचीबद्ध उद्देश्य और प्रयोजन किसी भी तरह का व्यय अनुज्ञात कर सकते हैं, जिनको अनुज्ञात करने को विद्यमान उपबंधों की शर्तों के अधीन प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार में उन अधिनियमों में प्रतिष्ठापित उद्देश्यों और प्रयोजनों की जांच करके जिनके अधीन यह कानूनी निगम या निकाय गठित किए गए हैं, कानूनी निगमों या निकायों को अधिसूचित करने की शक्ति निहित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार संशोधन यह उपबंध करता है कि कटौती अनुज्ञात की जानी चाहिए यदि ऐसे निगम या निगमित निकाय को केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियमों के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसे निगमों या निगमित निकायों को उक्त खंड के अधीन राजपत्र में अधिसूचित करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

धारा 54डग के अधीन 'दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट बंधपत्रों' में विनिधान के लिए शर्त

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 54डग में यह उपबंध है कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ को उस सीमा तक कर से छूट दी जाएगी जिस तक ऐसे पूंजी अभिलाभ ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' में विनिधान किए जाते हैं। वित्त अधिनियम, 2006 ने दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट आस्तियों की परिभाषा का संशोधन कर दिया ताकि उससे तीन वर्ष के पश्चात् उन्मोचनीय कोई बंध पत्र और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी बंध पत्र अभिप्रेत हों। ऐसे बंध पत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाना था।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के विद्यमान खंड (ख) को प्रतिस्थापित करके विद्यमान धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में ऐसे बंधपत्रों को अधिसूचित करते समय ऐसी अधिसूचना में ऐसे शर्तें अधिसूचित कर सके जो यह ठीक समझें जिनमें ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्तें भी हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित बंधपत्रों को उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, खंड (ख) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन के ठीक पूर्व ये विधिमान्य करने के लिए एक परंतुक अतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है; ऐसा बंधपत्र नए खंड (ख) के उपबंधों के अधीन अधिसूचित बंधपत्र माना जाएगा।

उपरोक्त उपबंध 1 अप्रैल, 2006 से अन्तःस्थापित किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे बंधपत्रों को राजपत्र में अधिसूचित करने की अपेक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी दीर्घ अवधि आस्तियों पर किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की अधिकतम सीमा का उपबंध किया जा सके। धारा 54डग के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों पर विनिधान 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 15]

न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिधि को व्यापक बनाना

धारा 115जख में यह उपबंध है कि किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के दस प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का दस प्रतिशत होगा।

धारा 115 जख की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के अनुसार "बही लाभ" पद से ऐसा शुद्ध लाभ अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और भाग 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय समायोजनों द्वारा वृद्धि करके या घटा कर दर्शाया गया है। पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि बही लाभ में धारा 10क या धारा 10ख में निर्दिष्ट किसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमों जोड़ दी जाएगी, यदि ऐसी रकम लाभ और हानि लेखा में से विकलित कर दी जाती है और उसमें से धारा 10क या धारा 10ख धाराओं में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाएगी यदि ऐसी कोई रकम लाभ या हानि लेखा में जमा कर दी जाती है।

धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कटौती के लिए पात्र आय को मेट (एमएटी) से छूट दिया जाना, मेट प्रारंभ करने के आधारिक सिद्धांत के विपरीत है, जो यह उपबंध करता है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले प्रत्येक निगम करदाता को कोष में अभिदाय करना चाहिए। तदनुसार धारा 115जख की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (घ) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि बही लाभ में ऐसी किसी आय से संबंधित व्ययों की रकम या रकमों नहीं जोड़ी जाएगी जिसको धारा 10क या धारा 10ख लागू होती है।

इसके अतिरिक्त उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय की रकम जिसे धारा 10क या धारा 10ख का कोई उपबंध लागू होता है, पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ से नहीं घटाई जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26]

कल्याण उपाय

किसी आपदा के कारण प्राप्त किए गए या प्राप्य प्रतिकर के लिए छूट

अभी हाल ही में हुई अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रतिकर प्रदान किया गया है।

धारा 10 में एक नया उपखंड (10खग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति या उसके विधिक वारिस द्वारा किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी, उस विस्तार तक उस प्राप्त या प्राप्य उस राशि को छोड़कर जिस तक ऐसे व्यक्ति या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से कोई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है। यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्ताव है कि नए खंड के प्रयोजन के लिए 'आपदा' का अर्थ वह होगा जो उसका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(घ) के अधीन है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

'अन्य नियोजकों' के कर्मचारियों को धारा 80गगघ के अधीन कर फायदों का विस्तार

धारा 80गगघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, और जिसने पूर्ववर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई या की जाने वाली किसी पेंशन स्कीम के अधीन कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है वहां उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। इसी प्रकार केंद्रीय सरकार उक्त पेंशन स्कीम के अधीन व्यक्ति के खाते में किया गया कोई अभिदाय वहां निर्धारिती को कुल आय की संगणना करने में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई उस संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती के लिए अनुज्ञात है।

धारा 80गगघ को 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जिसने उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति कर्मचारी के खाते में विनिर्दिष्ट रकम संदत्त या निक्षिप्त की है, नियोजित ऐसे कर्मचारी को विस्तारित करने की दृष्टि से धारा 80गगघ का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 7 और 17 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा 80गगघ के संदर्भ में 'किसी अन्य नियोजक' के प्रति निर्देश किया जाए और किसी अन्य नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को पूर्व वर्ष में प्राप्त आय के रूप में माना जा सके और क्रमशः वेतन की परिभाषा में किसी अन्य नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 10 और 19]

किसी 'नातेदार' की उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर संदत्त ब्याज की संपूर्ण रकम के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80ड किसी व्यक्ति को अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की उसकी कुल आय में से कटौती के लिए उपबंध करती है। यह कटौती उस निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले आठ निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें उधार पर ब्याज का संदाय आरंभ होता है।

इस कर फायदे का प्रारंभ देश में उच्च गुणवत्ता के मानव संसाधन बनाए रखने और प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं को संसाधनों की कमी के बावजूद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। यह अनुतोष माता-पिता को अनुज्ञात नहीं है, अपितु स्वयं छात्र को अनुज्ञात है, जब वह रकम का पुनः संदाय प्रारंभ करता है।

धारा 80ड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने नातेदार की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती अनुज्ञात की जा सके।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80ड के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" पद को परिभाषित किया जाए जिससे कि व्यक्ति की पत्नी या पति और बालक अभिप्रेत हों।

यह संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय

धारा 9 ऐसी स्थितियों के लिए उपबंध करती है जहां आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाता है।

वित्त अधिनियम, 1976 के द्वारा उक्त धारा में खंड (v), (vi) और (vii) के अंतःस्थापनों के माध्यम से ब्याज, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों से आय के लिए एक स्रोत नियम का उपबंध किया गया था। अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया गया था कि किसी निवासी अदाता से प्राप्त ब्याज, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के संदाय के मामले में आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाएगा, सिवाय वहां के जहां ब्याज या स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों भारत से बाहर किए गए कारबार या वृत्ति से या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय प्राप्त करने या आय अर्जित करने से संबंधित हैं। इन संशोधनों के आशय को परिपत्र सं. 202 तारीख 5.7.1976 द्वारा जारी वित्त अधिनियम, 1976 को प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंधों के स्पष्टीकरण टिप्पणों में स्पष्ट किया गया था। स्वामिस्व आय के स्रोत नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन किया गया था:

“पूर्वोक्त संशोधन को देखते हुए, किसी पेटेंट, अविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गोपनीय सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिन्ह या वैसी ही संपत्ति से संबंधित किसी डाटा, दस्तावेजों, रेखाचित्रों या विनिर्देशों के भारत से बाहर अंतरण या उनके संबंध में भारत से बाहर सूचना देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल वाली स्वामिस्व आय सामान्यतया भारत में कर से प्रभार्य बन जाएगी।”

इस प्रकार, स्रोत नियम को प्रारंभ करने का आशय यह था कि धारा 9 में एक विधिक अभिकल्पना का सृजन करके ब्याज, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों को कर के अंतर्गत लाया जाए। चूंकि ब्याज और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों हेतु स्रोत नियम स्वामिस्व आय के नियम के समान है, इसलिए ऊपर वर्णित सिद्धांत ब्याज और तकनीकी सेवाओं के लिए समान रूप से लागू है। स्रोत नियम से यह तात्पर्य होगा कि सेवा की अवस्थिति पर ध्यान न देते हुए, आदाता की अवस्थिति और सेवा के उपयोग की अवस्थिति कर अधिकारिता का अवधारण करेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 5, जो कुल आय की परिधि को परिभाषित करती है, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन है, जिनमें धारा 1 भी सम्मिलित होगी और धारा 9 के निबंधनों के अनुसार प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय धारा 5 के अंतर्गत आती है। भारत में प्राद्भूत या उद्भूत आय समझे जाने के लिए आय का वास्तव में भारत में प्राद्भूत या उद्भूत होना आवश्यक नहीं है।

हाल ही की न्यायिक राय यह रही है कि किसी ऐसी समझी गई आय की भारत में कराधेय होने के लिए, उक्त धारा में समझे जाने की अभिकल्पना के बावजूद ऐसी आय और भारत के राज्यक्षेत्र में पर्याप्त राज्यक्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी निवासी द्वारा कोई राशि किसी अनिवासी को संदेय है वहां उक्त धारा का समझी गई आय का विस्तार, किसी अनिवासी की, उसके द्वारा भारत से बाहर दी गई सेवाओं के लिए, भारतीय समुत्थानों से भारत से बाहर प्राप्त की गई आय को कर के अंतर्गत नहीं ला सकता। जहां तक तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का संबंध है, विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फीसों के भारत में कराधेय होने के लिए, न केवल सेवाओं का उपयोग भारत में किसी कारबार में किया गया हो, अपितु उन्हें भारत में ही दिया गया होना चाहिए।

खंड (v), (vi) और (vii) रखने के पीछे विधायी आशय स्रोत नियम को विधिक मान्यता प्रदान करना है। यह स्रोत नियम भारत के दोहरे कर अपवंचन करारों में भी मान्यताप्राप्त है। संदेहों के निवारण के लिए, धारा 9 में उपबंधित स्रोत नियम की विनिर्दिष्ट अभिपुष्टि करने के लिए, उस धारा में अब एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (v), (vi) या (vii) के अधीन किसी आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाता है, वहां ऐसी आय को, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध है अथवा नहीं, उस अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, उक्त खंडों के अधीन किसी अनिवासी की भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय और भारत के राज्यक्षेत्र के बीच राज्यक्षेत्रीय संबंध स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1976 से प्रभावी होगा।

[खंड 5]

किराया के विषय में रियायत के संबंध में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 15 यह उपबंध करती है कि किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती को देय या संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन या उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन का कोई बकाया 'वेतन' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है। 'वेतन' पद आय-कर अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित किया गया है और, अन्य बातों के साथ, इसमें किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त परिलब्धियां या फायदे भी हैं। अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 17 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित 'परिलब्धि' पद के अन्तर्गत निम्नलिखित है:-

- निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास का मूल्य
- कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किसी आवास की बाबत मामले में किसी रियायत का मूल्य भी है।

किराए के विषय में रियायत का गठन कैसे किया जाता है, के बारे में स्पष्टीकरण का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (ii) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में, जहां किसी नियोजक द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और, आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के दस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में जहां किसी नियोजक द्वारा (केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न) निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में आया था, आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त पट्टे के किराए या उसके द्वारा संदेय किराए की वास्तविक रकम है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारिती को सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उस मामले में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सज्जित आवास दिया जाता है, और आवास नियोजक के स्वामित्व में है वहां उक्त आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास निर्धारिती के पूर्ववर्ष के दौरान अधिभोग में था, बढ़ाया गया है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उस मामले में जहां, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां असुसज्जित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह भी उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य फर्नीचर की, (जिसके अन्तर्गत टेलीविजन सेट रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर या अन्य घरेलू साधित्र, वातानुकूल संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य सधित्र या गैजटस हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है उसके लिए सदैव वास्तविक प्रभारों में से पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारितों द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय किसी प्रकार को घटाकर, लागत का दस प्रतिशत होगा।

यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां आवास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा होटल में दिया जाता है, (सिवाय वहां के जहां कर्मचारी को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता

हैं), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इस प्रकार अन्तःस्थापित स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के बीस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है, उक्त आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम या वेतन का बीस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान कर्मचारी के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10]

धारा 36(1)(viiक) के अधीन सहकारी बैंकों की दशा में अनुज्ञात किए जाने वाले डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी प्रावधान की बाबत कटौती

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कुल आय (उक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) के साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक की रकम की और विहित रीति में किसी अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए सकल औसत अग्रिमों से दस प्रतिशत से अनधिक की रकम ऐसे बैंकों की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है। धारा 36 की उपधारा (1) के उपखंड (viiक) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "अनुसूचित बैंक" के अन्तर्गत सहकारी बैंक नहीं है।

बैंककारी (सहकारी बैंक) के कारबार चलाने में लगी सहकारी सोसाइटी की दशा में धारा 80त के अधीन पूर्वतर अनुज्ञेय किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की दशा में वर्जित करते हुए निर्धारण वर्ष 2007-2008 से वापस ले ली गई है।

चूंकि सहकारी बैंक के लाभ धारा 80प के अधीन बैंककारी कारबार चलाने में लगी सहकारी समिति को उपलब्ध कटौती की वापसी अब कराधेय हो गई है, ऐसे सहकारी सोसाइटी बैंकों को डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी प्रावधान की बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी चाहिए क्योंकि उसके लाभ कराधेय हो गए हैं। यह संशोधन ऐसे सहकारी बैंकों के लिए जो प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं है, इस कटौती को अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त खंड (viiक) के स्पष्टीकरण का खंड (ii) में अनुसूचित बैंक की परिभाषा का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अनुसूचित सहकारी बैंकों को इस परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा सके।

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) के स्पष्टीकरण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन "अनुसूचित बैंक" पद का वह अर्थ होगा जो उसका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है, जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक नहीं हैं। तथापि, प्रस्तावित संशोधन के पश्चात "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा के अन्तर्गत अनुसूचित सहकारी बैंक भी आएंगे। पूर्वोक्त मद (चक) के स्पष्टीकरण में वर्तमान में आने वाले "अनुसूचित बैंक" निर्देश परिभाषा किसी सहकारी बैंक द्वारा किसी अनिवासी या किसी ऐसे व्यक्ति को साधारण रूप से अनिवासी है, जो संदेय ब्याज की छूट को अनुज्ञात नहीं करता है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) इसके पूर्व संशोधित में पूर्वोक्त मद (चक) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर रखा जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त मद (चक) के अधीन अनुज्ञात छूट का विस्तार में परिवर्तन न हो। उक्त मद (चक) में "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा का प्रस्तावित प्रतिस्थापन इसके उद्देश्य को पूरा करता है।

"अनुसूचित बैंक" की परिभाषा का प्रस्तावित संशोधन का, जैसा यह धारा 36 में है, प्रभाव भी अनुसूचित सहकारी बैंकों को धारा 43घ के उपबंध लागू करने का होगा।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6 और 12]

धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित के सृजन और अनुरक्षण के संबंध में कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के विद्यमान उपबंध निम्नलिखित द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षित निधि के संबंध में किसी कटौती के लिए उपबंध करता है—

- ऐसा वित्तीय निगम जो भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में लगा हुआ है; या
- भारत में निवास के प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में निर्मित और रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी।

पूर्वोक्त खण्ड के अधीन अनुज्ञेय कटौती दीर्घावधि वित्त प्रदान करने का कारबार करने से व्युत्पन्न लाभों का चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

इस विशेष कटौती से संबंधित उपबंध आय-कर अधिनियम, 1922 में भी विद्यमान थे तथा वे आय-कर अधिनियम, 1961 में भी बनाए रखे गए हैं। मूलरूप से इस कटौती का उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को तीव्र करना था।

उक्त खण्ड के उपबंधों की सीमा को बाद में वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1971 द्वारा भारत में कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में लगे अनुमोदित वित्तीय निगमों को इसकी परिधि में सम्मिलित करके व्यापक बनाया गया। उक्त खण्ड के उपबंधों में अर्तनिहित उद्देश्य, जैसा कि पूर्वोक्त विधेयक के उपबंधों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में समझाया गया था, उनके आंतरिक संसाधनों को त्वरित गति से निर्मित करने में वित्तीय निगमों को सक्षम बनाना तथा उनकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु सरकार के अनुदान से स्वतंत्र करना था।

इस विशेष कटौती के प्रारंभ तथा उसकी परिधि के पश्चातवर्ती विस्तार से कंपनियों पर उच्च कर आपतन सारवान रूप से नीचे आ गया है। इस कटौती का फायदा निगमों को पूंजी बाजार में सीमित पहुंच के कारण उनके प्रारंभिक निम्न साम्या आधार को बढ़ाने में समक्ष बनाने के लिए भी आशयित था। उदारीकरण के बढ़ने के दौरान, नब्बे के प्रारंभ से तक, पूंजी बाजार का पर्याप्त प्रसार और विस्तार हुआ है। पूंजी बाजार तक पहुंच उल्लेखनीय रूप से सुधर चुकी है।

अतः यह संशोधन दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के कारबार से व्युत्पन्न लाभों की कटौती को बीस प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव करता है। कटौती की बाहरी सीमा के लिए उपबंध पर विचार करते हुए, जो समादत्त शेयर पूंजी की रकम और साधारण आरक्षिति का दुगुना है, कटौती के स्तर में बीस प्रतिशत की प्रस्तावित कटौती का प्रभाव उस समयावधि को बढ़ाएगा जिसके दौरान फायदा पाने वाले "विनिर्दिष्ट एकक" द्वारा कटौती का दावा किया जा सकता है। अतः प्रभावी रूप से, विनिर्दिष्ट एककों पर दीर्घावधि में बुरा-प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस उपबंध को अस्तित्वों के विभिन्न प्रवर्गों (जिसमें अब सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं) तथा उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कटौती की पात्रता के लिए उनकी अपनी-अपनी गतिविधियों का उपबंध करने के लिए पुनर्संरचित भी किया गया है। उक्त खण्ड के अधीन छूट का दावा करने के लिए, (i) कंपनी अधिनियम की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय निगम या कंपनी है अथवा सहकारी बैंक है (प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न), को औद्योगिक या कृषि विकास अथवा अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के कारबार में लगना होगा, (ii) आवास वित्त कंपनी को, भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय हेतु दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगना होगा, और (iii) पब्लिक कंपनी समेत किसी अन्य वित्तीय निगम को भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास हेतु दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने में लगना होगा। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 4क में विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय निगम में ऐसे निगम सम्मिलित होंगे जो कंपनी अधिनियम की धारा 4 क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

यह संशोधन "बैंककारी कंपनी", "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी", "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक", "पब्लिक कंपनी", "अवसंरचना सुविधा" और "दीर्घावधि वित्त" अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का भी उपबंध करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12]

लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनिमय जोखिम प्रशासन निधि में धारा 36(i)(x) के अधीन अभिदाय के संबंध में कटौती का वापिस लिया जाना

धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के विद्यमान उपबंधों के अधीन लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, संयुक्त या पृथक रूप से स्थापित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (ई.आर.ए.एफ.) में योगदान के माध्यम से संदत्त कोई राशि, संदाय करने वाली लोक वित्तीय संस्था की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है।

ईआरएएफको विनिमय जोखिम प्रशासन स्कीम के नाम से ज्ञात एक स्कीम के अधीन स्थापित किया गया था। इस स्कीम के अधीन विनिमय जोखिम को शामिल करने का फायदा संस्थाओं द्वारा उनके विदेशी वाणिज्यिक उधारों में से प्रदान किए गए विदेशी करेंसी उधार प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध था।

किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित अधिसूचित ईआरएएफ की आय के संबंध में धारा 10 के खण्ड (23ड) के अधीन छूट पूर्व में वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा प्रदान की गई थी। धारा 10 के खण्ड (14क) के आधार पर उधार प्राप्तकर्ताओं से लोक वित्तीय संस्था द्वारा विनिमय जोखिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त की गई और तत्पश्चात् ईआरएएफ को उधार दी गई आय को भी कर से छूट प्रदान की गई। धारा 10(23ड) के अधीन ईआरएएफ को दी गई छूट वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से इस आधार पर वापिस ले ली गई कि इन निधियों के प्रचालन वाणिज्यिक आधार पर थे जिसके द्वारा वे विनिमय उतार-चढ़ाव के मद्दे वास्तविक हानि को पूरा करने के लिए विनिमय जोखिम प्रीमियम विदेशी करेंसी उधारप्राप्तकर्ताओं से संगृहीत कर रही थीं। ईआरएएफ 1989 से लम्बे समय तक विद्यमान थीं और यह महसूस किया गया कि उन्हें कर से छूट देने की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। धारा 10 के खण्ड (14क) के अधीन छूट को भी इसके साथ ही वापिस ले लिया गया।

विनिमय जोखिम प्रशासन स्कीम (ईआरएएफ) प्रारंभ करने के समय से भारत में विदेशी विनिमय परिदृश्य में भारी परिवर्तन हो चुका है। उधार प्राप्तकर्ताओं के अपने विदेशी विनिमय जोखिम का बचाव करने के लिए बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। परिवर्तित बाजार गतिशीलता के प्रतिउत्तर में भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) और इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आई.आर.ई.डी.ए.) द्वारा ई.आर.ए.एफ. को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, इस खण्ड की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

तदनुसार, यह संशोधन उक्त उपधारा से खण्ड (x) का लोप किया जाना प्रस्तावित करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

कतिपय धनीय प्राप्तियों के लिए कराधान से अपवाद को भूतलक्षी प्रभाव देना तथा आय की परिभाषा में कतिपय अन्य धनीय प्राप्तियों को सम्मिलित करना

धारा 56(2) के खण्ड (v) के अधीन जहां पच्चीस हजार रुपए से अधिक की कोई धनराशि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात किन्तु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, वहां समस्त ऐसी राशि 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी है। उक्त खण्ड के परंतुक में यह अपवाद दिया गया है कि उक्त खण्ड ऐसी राशि को लागू नहीं हो जो उसमें यथा विनिर्दिष्ट कतिपय व्यक्तियों से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन प्राप्त होती है। कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, जो 13 जुलाई, 2006 को अधिनियमित किया गया, उक्त परंतुक में नए खण्ड (ड), खंड (च) और खंड (छ) अंतःस्थापित करता है। जिससे कि किसी स्थानीय प्राधिकारी, या धारा (23ग) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व अथवा धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि के संबंध में 13 जुलाई, 2006 से ऐसी छूट, प्रदान की जा सके।

उक्त खंड (ड), खण्ड (च) और खण्ड (छ) को 1 अप्रैल, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना प्रस्तावित है, जो वह तारीख है जिससे धारा 56 की उपधारा (2) का खण्ड (v) प्रभावी हुआ।

यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा निर्धारण वर्ष 2006-2007 के संबंध में लागू होगा।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से, धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खण्ड (vi) अंतःस्थापित किया गया, जिसके द्वारा उसके परंतुक में विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन धन की किसी रकम के सकल मूल्य का संपूर्ण पचास हजार रुपए से अधिक होने पर, जो प्रतिफल के बिना 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाज्य कुटुम्ब को प्राप्त होती है, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी है।

धारा 2 के खण्ड (24) में एक नया खण्ड (xiv) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि 'आय' में धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (vi) में निर्दिष्ट किसी राशि को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
[खंड 3 और खंड 16]

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 80घ यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, निर्धारिती के स्वास्थ्य या कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने हेतु चेक द्वारा संदाय की गई राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। कटौती के रूप में अनुज्ञात अधिकतम रकम दस हजार रुपए है। वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, अनुज्ञात कटौती पंद्रह हजार रुपए है।

इसी प्रकार, धारा 36 की उपधारा(1) का खण्ड (ix) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित साधारण बीमा निगम द्वारा बनाई गई स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदाय किए गए किसी प्रीमियम के चेक द्वारा संदत्त रकम की कटौती के लिए उपबंध करती है।

इलैक्ट्रानिक मोड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किए गए संदाय हेतु कटौती अनुज्ञात करने की दृष्टि से, धारा 80घ तथा धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ix) के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि नकद से भिन्न किसी भी माध्य से किया गया प्रीमियम का संदाय, इन धाराओं के अधीन कटौती का पात्र होगा।

धारा 80घ के अधीन अनुज्ञात अधिकतम 10,000 रुपए की रकम को 15,000 रुपए तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे; तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और खंड 20]

धारा 80झक के प्रयोजनों के लिए अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क इत्यादि के प्रतिनिर्देश से विकासकर्ता के संबंध में स्पष्टीकरण

धारा 80झक अन्य बातों के साथ अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुए किसी उद्यमी या उपक्रम को 10 वर्ष के कर फायदे का उपबंध करती है।

कर फायदे को इस कारण से आरम्भ किया गया थी कि औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना का वस्तु विस्तार और गुणवत्ता सुधार (अर्थात् द्रुतगति मार्ग; राजमार्ग, विमानपत्तन, पत्तन और तीव्र नगरीय रेल परिवहन प्रणालियाँ) अपेक्षित है, जिसका हमारे देश में अभाव था। कर फायदे का प्रयोजन निजी क्षेत्र की सहभागिता को अवसंरचना क्षेत्र के विकास में विनिधान के माध्यम से बढ़ावा देना था न कि उन व्यक्तियों को जो केवल सिविल सन्निर्माण कार्य का अन्य संविदा कार्य करते हैं।

तदनुसार यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि धारा 80झक के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो किसी संविदा कार्य का निष्पादन करता है जो उसने किसी उपक्रम से या उक्त धारा निर्दिष्ट किसी उद्यम से किया था। अतः ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति विनिधान करता है और स्वयं विकास कार्य निष्पादित करता है अर्थात् सिविल सन्निर्माण कार्य, धारा 80झक के अधीन कर फायदे का पात्र होगा। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कार्य संविदा का निष्पादन करने के लिए संविदा करता है (अर्थात् धारा झक में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम) धारा 80झक के अधीन कर फायदे का पात्र नहीं होगा।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

31.03.2007 के पश्चात् समामेलन या निर्विलयन का सामना कर रही भारतीय कंपनियों के उपक्रमों/उद्यमों के लिए धारा 80 झक के अधीन कर फायदा उपलब्ध न होना

धारा 80 झक के विद्यमान उपबंध कतिपय ऐसे उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत दस वर्ष के लिए शत प्रतिशत कटौती का उपबंध करते हैं, जो विकास, अवसंरचना सुविधा के प्रचालन और रखरखाव तथा औद्योगिक पार्कों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों या विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेषण के कारबार में लगे हुए हैं। उक्त धारा 80 झक की उपधारा (4) कटौती के लिए पात्र क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण, अवसंरचना सुविधा का विकास, औद्योगिक पार्कों का विकास जिसके अंतर्गत गैस पाइपलाइन और भण्डारण सुविधाओं, जो नेटवर्क का एक भाग हैं, और वैसा ही फायदा किसी क्रॉस-कट्टी प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाए जाने और उसके प्रचालन के लिए प्रस्तावित है।

उक्त धारा 80 झक की उपधारा (12) यह उपबंध करती है कि जहां भारतीय कंपनी का कोई ऐसा उपक्रम जो उक्त धारा के अधीन कटौती का हकदार है, समामेलन या निर्विलयन की स्कीम में उस धारा में विनिर्दिष्ट, अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, वहां उक्त धारा 80 झक के उपबंध समामेलित या पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलनकारी या निर्विलयित कंपनी को लागू हुए हों, मानो समामेलन या निर्विलयन नहीं हुआ हो।

धारा 80 झक में एक नई उपधारा (12क) अंतः स्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि उपधारा (12) के उपबंध उस उपक्रम या उद्यम को लागू नहीं होंगे जो 31.03.2007 के पश्चात् समामेलन या निर्विलियन की स्कीम में अंतरित की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

आय कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 4 के खंड (डक) में अधिकथित शर्त के अनुपालन के लिए नियम 3 में उपवर्णित समय सीमा का विस्तार

आयकर अधिनियम अनुसूची के नियम 4 में वे शर्तें उपबंधित हैं जिनको मान्यता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए पूरा करने की किसी भविष्य निधि से अपेक्षा की जाती है। उक्त नियम 4 का खंड (डक) यह उपबंध करता है कि निधि ऐसे स्थापन की होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और ऐसे स्थापन को उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्रदान की गई है।

खंड (डक) में दी गई शर्तों को स्पष्ट रूप से उपवर्णित उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निधि ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क का नियम 3 यह उपबंध करता है कि आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान कर सकता है जो नियम 4 और इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में विहित शर्तों को पूरा करता है।

अन्य बातों के साथ, उक्त नियम का उपनियम (1) का परन्तुक यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामले में जहां 31, मार्च, 2006 को या उसके पहले किसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरी नहीं करती है ऐसी निधि की मान्यता तब वापस ले ली जाएगी जब ऐसी निधि 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट पाने वाले आवेदनों पर विनिश्चय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए पर्याप्त समय का प्रदान करने की दृष्टि से, 31.3.2007 से 31.3.2008 तक उक्त अनुसूची के भाग क के नियम 4 के खंड (डक) में निदिष्ट शर्त को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के नियम 3 में उपबंधित समय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नियम 3 के उपनियम (1) में एक परन्तुक अन्तः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि पहला परन्तुक ऐसे स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगा जिसकी बाबत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 73]

कर कटौती और स्रोत पर संग्रहण के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

8% बचत वाले (कराधेय) बंधपत्रों 2003 पर स्रोत पर कटौती का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 का संशोधन।

8% बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 193 का संशोधन विद्यमान धारा 193 का परंतुक, अन्य बातों के साथ, स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर संदेय किसी ब्याज को अपवर्जित करता है। परिणामस्वरूप, 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर संदेय ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जा रही है।

8% वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां हैं। आर्थिक कार्य विभाग की तारीख 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करती है कि 8% वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 आय-कर के अधीन कराधेय हैं। इन बंधपत्रों पर कर की कटौती न किए जाने का परिणाम करों का अपवंचन है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर किसी ब्याज का किसी निवासी को संदेय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती करेगा यदि ऐसे बंधपत्र, पर संदेय ब्याज वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 43]

किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या डाकघर द्वारा धारा 194क के अधीन संदेय ब्याज के संबंध में अवसीमा में बढ़ोतरी

धारा 194क की उपधारा (3) का विद्यमान खंड (i) में यह उपबंध है कि स्रोत पर आय-कर की कटौती उन मामलों में नहीं की जाएगी, जहां "प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न" ब्याज के रूप में आय की रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।

संशोधन यह प्रस्ताव करता है कि पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कर कटौती की सीमा वहां दस हजार रुपए होगी जहां संदायकर्ता बैंककारी कंपनी या किसी अधिसूचित स्कीम के संबंध में बैंककारी या डाकघर कारबार करने में लगी हुई कोई सहकारी सोसाइटी है और अन्य दशाओं में अवसीमा पांच हजार रुपए तक बनी रहेगी।

निवासियों को कर पर स्रोत की कटौती किए बिना ब्याज के संदाय के संबंध में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 206घ के उपबंधों में परिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन, 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 44, 51]

धारा 194ग के उपबंधों की परिधि का विस्तार

धारा 194ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध किसी निवासी ठेकेदार को, ठेकेदार और सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निगमों, कंपनियों, सहकारी सोसाइटियों, कानूनी प्राधिकारियों जो गृह आवासों इत्यादि का उपबंध करने में लगे हैं, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और फर्मों के बीच किसी संविदा के अनुसरण में प्रत्यय या संदत्त किसी राशि पर स्रोत पर आय-कर की कटौती का उपबंध करती है। विज्ञापन संविदाओं की दशा में स्रोत पर कर संग्रह 1% और अन्य मामलों में 2% है।

धारा 194ग की उपधारा (1)के विद्यमान उपबंध किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा ठेकेदार को किए गए संदायों पर स्रोत से कर की कटौती का उपबंध नहीं करती है।

व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा जो कारबार या वृत्ति कर रहे हैं द्वारा दिए जाने वाले ठेकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और ठेकेदारों को संदायों के बढ़ते परिमाण के कारण ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा ठेकेदारों को किए जाने वाले संदायों पर ऐसे व्यक्तियों से कर की कटौती करने की अपेक्षा की आवश्यकता है।

वास्तव में कठिनाईयां आएंगी यदि व्यक्तियों या अविभक्त हिन्दू कुटुंब को जिनका छोटा कारबार है या वृत्ति से समग्र प्राप्तियां यदि स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है। ऐसे मामलों में किसी अपवाद का होना न्यायोचित है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब के सदस्य द्वारा वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए दिए गए ठेकों में भी अपवर्जन के प्रयोजनों के लिए दम है।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि ऐसे किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को सम्मिलित करने के लिए है जिसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा की जाती है या संदाय की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक है।

यह संशोधन यह भी प्रस्ताव करता है कि उक्त धारा (1) के उपबंध ठेकेदारों को किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए अनन्य रूप से किए गए सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 45]

धारा 194ज के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की दर में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि और भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उनके पीसीओ के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय कमीशन से तदधीन स्रोत पर कर की कटौती से छूट

धारा 194ज के विद्यमान उपबंध कमीशन या दलाली के संदाय पर स्रोत से कर की कटौती की अपेक्षा करते हैं, कर की कटौती की यह दर पांच प्रतिशत है।

स्रोत पर कर की कटौती, अन्य कर प्रयोजनों के लिए बिल्कुल आरंभिक समय पर आय तक पहुंच बनाने के सुकर बनाती है। तथापि ऐसे आदाताओं के मामलों में जिनकी आय कराधेय सीमा से कम रही है, स्रोत पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप केवल अनावश्यक कागजी कार्रवाई बढ़ती है। भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पब्लिक काल आफिस के विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्हें कमीशन की बहुत कम रकम प्राप्त होती है और ऐसे मामले बहुत ही कम होंगे जहां आय छूट सीमा की अवसीमा से अधिक होगी।

अतः, प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उनके पब्लिक काल आफिस के विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय कमीशन या दलाली के संदायों पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की जाएगी।

ऐसे अनेक मामले सूचना में आए हैं, जहां कमीशन या दलाली प्राप्त करने वाले के मामले में कर आयतन, पांच प्रतिशत की दर से संगृहीत कर की रकम से काफी अधिक है। इसका परिणाम यह है कि या तो कर के संग्रहण में आस्थगन होता है या कुछ मामलों में आय बच जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए पांच प्रतिशत की विद्यमान दर को बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 46]

धारा 194-झ के अधीन किसी मशीनरी या संयंत्र के उपयोग के लिए किराये पर स्रोत पर कर की कटौती की दर में कमी

धारा 194-झ के विद्यमान उपबंध किसी निवासी को किराये के रूप में किसी आय का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती का उपबंध करती है। धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम आवर्त रखने वाले व्यक्तियों और अविभक्त हिन्दू कुटुंबों से इस धारा के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है। यदि आदाता कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो कर की कटौती की विद्यमान दर पंद्रह प्रतिशत और अन्य आदाताओं की दशा में बीस प्रतिशत है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किराया" स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।

कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित "किराया" की विद्यमान परिभाषा 13 जुलाई, 2006 से प्रवृत्त हुई है और इस परिभाषा में तीन नई मर्दों, अर्थात् मशीनरी, संयंत्र और उपस्कर पर किराये को अंतःस्थापित किया गया है। उपरोक्त संशोधन के पश्चात् इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मशीनरी, संयंत्र या अन्य उपस्कर के पट्टे या किराये पर लेने संबंधी संव्यवहारों में लाभ अंतर काफी कम होने के कारण 15% और 20% की विद्यमान दरों पर स्रोत पर कर कटौती के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में कर आदतन की बजाय कर की अधिक रकमों का संग्रहण हो रहा था।

तदनुसार, यह संशोधन किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए किराए के रूप में संदेय किसी आय की संबंध में दस प्रतिशत की निम्न दर पर स्रोत पर कर कटौती की दर को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा

[खंड 47]

आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के अधीन टीडीएस की दर में वृद्धि

धारा 194ज की उपधारा(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से, किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीसों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के रूप में संदेय किसी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करना अपेक्षित है।

वृत्तिक और तकनीकी विशेषज्ञों के विभिन्न मामलों में कर कटौती के संबंध में एकत्रित आंकड़ों ने यह दर्शित किया कि ऐसे मामलों में कर आपतन पांच प्रतिशत की विद्यमान दर से स्रोत पर कर की कटौती के रूप में संगृहीत कर की रकम से काफी अधिक है।

तदनुसार, यह संशोधन धारा 194ज के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए दस प्रतिशत की उच्चतर दर विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करता है। स्रोत पर कर की कटौती के लिए बढ़ी हुई दर वृत्तिक सेवाओं के लिए फीसों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों या स्वामित्व या धारा 28 के खंड (फक) में निदिष्ट किसी राशि के रूप में किसी राशि के संदाय को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 48]

धारा 197 क से लोप की गई धारा 88ख के प्रतिनिर्देश का लोप करना

धारा 197 क की उपधारा (1ग) के विद्यमान उपबंधों में धारा 88 ख के प्रतिनिर्देश अंतर्विष्ट है, जिसका 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया गया था।

यह संशोधन उक्त उपधारा से लोप की गई धारा 88ख के प्रतिनिर्देश को हटाने के लिए है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 49]

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन "खनन और खदान क्रिया" पद की परिभाषा

धारा 206 ग के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, किसी अनुज्ञप्तिधारक या पट्टाधारक से, उक्त धारा की उपधारा (1ग) की सारणी के स्तंभ(2) में विनिर्दिष्ट किसी खनन और खदान क्रिया" से संबंधित किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के संबंध में स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उपबंध करते हैं। स्रोत पर कर के संग्रहण की दर सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध "खनन और खदान क्रिया" पद की परिभाषा उपबंधित नहीं करते हैं। कुछ तबकों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि धारा में इस पद की परिभाषा न होने के कारण, इस पद में तेल की खोज और अनुषंगी सेवाओं को इसमें सम्मिलित माना जा रहा था और ऐसी खोज में लगे अनुज्ञप्तिधारी संगठित क्षेत्र में हैं, इसलिए टीसीएस के उपबंधों को लागू करना आशयित नहीं है।

तदनुसार संशोधन यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि धारा 206ग की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "खनन और खदान क्रिया" में खनिज तेल का खनन और खदान सम्मिलित नहीं होगा। स्पष्टीकरण 2 यह और स्पष्ट करता है कि स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय

धारा 35 की उपधारा 2 (क ख) के खंड (1) के अधीन भारत कटौती की और पांच वर्षों तक अनुज्ञात किया जाना

धारा 35 की उपधारा 2 (क ख) के खंड (1) के विद्यमान उपबंध किसी ऐसी कंपनी की दशा में जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में या बोर्ड द्वारा अधिसूचित औषधि, भेषजीय, इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपस्कर, रसायन या किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण का उत्पादन के कारबार में लगी है, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) पर उपगत व्यय का डेढ़ गुणा के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात करते हैं। यह उपबंध 31 मार्च, 2007 के पश्चात कंपनी द्वारा उपगत किसी व्यय की बाबत लागू नहीं होगा और उस तारीख के पश्चात उपगत व्यय के लिए कोई भारत कटौती अनुज्ञेय नहीं है।

आम धारणा यह है कि अनुसंधान और विकास को अभी भी कुछ और वर्षों तक कुछ राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है अतः उक्त उपधारा के खंड (5) का संशोधन पांच वर्ष की और अवधि के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक उपगत व्यय की बाबत, खंड (1) में निर्दिष्ट भारत कटौती अनुज्ञात करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा निर्धारण वर्ष 2012-2013 तक पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

सामाजिक आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए उपाय

राज्य पूलकृत वित्त एककों द्वारा जारी अधिसूचित बंधपत्रों पर ब्याज के लिए छूट

धारा 10 की उपधारा (15) के खंड (vii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्गमित और सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त है।

पूलकृत वित्त एकक शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निबंधानुसार ऋण प्रतिभूतियां निर्गमित करने के लिए स्थापित की गई हैं। उपधारा (15) के खंड (vii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो सके कि राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा निर्गमित और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त होगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य पूलकृत वित्त एकक को ऐसे एकक के रूप में परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है जो केन्द्रीय सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

वस्तु एक्सचेंजों द्वारा स्थापित अभिनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कतिपय आयों के लिए छूट

धारा 10 के खंड-(23 ड क) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज और उसके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में संयुक्त: या पृथकतः भारत के मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित अधिसूचित विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कोई आय आयकर से छूट प्राप्त है।

वस्तु विनिमयों द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षा निधि पर वैसी ही छूट विस्तारित करने की दृष्टि से धारा 10 में एक नया खंड-(23 ड ग) अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वस्तु एक्सचेंजों द्वारा प्राप्त अभिदायों और उसके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में संयुक्ततः या पृथकतः भारत में वस्तु एक्सचेंजों द्वारा स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कोई आय जिसे केन्द्रीय सरकार राजस्व में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। जैसा कि उक्त खंड-(23 ड क) के परन्तुक में वर्तमान में उपबंधित है नए खंड-(23 ड ग) में यह उपबंध करने के लिए

भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां निधि के नाम में कोई रकम जमा है और किसी पूर्व वर्ष के दौरान आय कर से प्रभारित नहीं है, वस्तु एक्सचेंज के साथ या तो पूर्णतः या भागतः बांटी जाती है तो इस प्रकार अंशभाजित रकम उस पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें वह रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार, आयकर से प्रभार्य होगी। नए खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु एक्सचेंज" को परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे "रजिस्ट्रीकृत संगम" का वही अर्थ हो सके जो इसका अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, खंड 2 की धारा 2 के खंड-(अ ज) में परिभाषित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 6]

विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कतिपय आय के लिए छूट

धारा 10 के खंड (23चख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान के लिए निधियां लेने स्थापित जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय कराराधान से छूट प्राप्त है। खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में यथा उपबंधित "जोखिम पूंजी उपक्रम" की विद्यमान परिभाषा से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए तथा बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधियां) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी छूट अब केवल विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों में लगे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय की बाबत उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम की पूर्वोक्त परिभाषा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसी घरेलू कंपनी अभिप्रेत हो सके (जिसके शेर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और जो नैनो प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी, बीज अनुसंधान और विकास, भेषजीय सेक्टर में नए रासायनिक अस्तित्वों के अनुसंधान और विकास, जैव प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन उत्पादन करने, या तीन हजार से अधिक की बैठने की क्षमता वाले संयुक्त होटल-सह-कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण तथा प्रचालन के कारबार में लगी है या डेयरी उद्योग या कुक्कुट पालन उद्योग में लगी है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6]

धारा 80 झ क के अधीन कर फायदों के प्रयोजनों के लिए 'अवसंरचना सुविधा' की परिधि का विस्तार

अन्य बातों के साथ, धारा 80 झक अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव में लगे उद्यम के लिए दस वर्षीय फायदे के लिए उपबंध करता है। धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (ii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसा उद्यम जो कि किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने, प्रचालित करने और उसके रखरखाव के कारबार को चला रहा है; यदि वह उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है, तो वह दस वर्ष के लिए लाभों की शत प्रतिशत कटौती के लिए पात्र है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (i) का स्पष्टीकरण "अवसंरचना सुविधा" पद को परिभाषित करता है जिसका अभिप्राय ऐसी सड़क से है जिसके अन्तर्गत पथकर मार्ग, पुल, रेल प्रणाली, आवासन या अन्य क्रियाकलापों, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग है, सहित राजमार्ग परियोजना है, जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार पद्धति, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मलवहन पद्धति, वायुपत्तन, अन्तर्देशीय जलमार्ग या अन्तर्देशीय पत्तन है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समुद्र में नौचालन चैनल अति जोखिम पूर्ण परियोजना (जिसमें भारी पूंजी विनिधान अन्तर्लित है) है और जिसकी पक्व अवधि भी लम्बी है, "अवसंरचना सुविधा" पद की परिधि को विस्तारित करने का प्रस्ताव है जिससे समुद्र में नौचालन चैनल को धारा 80 झक के अधीन दस वर्षीय कर फायदे के प्रयोजनों के लिए इसकी परिधि में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

किसी जनन संयंत्र के पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के लिए गठित किसी भारतीय कंपनी के उपक्रम द्वारा विद्युत पैदा करने या पारेषण या वितरण के लिए समय-सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक किसी उद्यम को जो अवसंरचना सुविधाओं, औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों, विद्युत आदि पैदा करने और उसके वितरण के कार्य में लगा है, के लिए 10 वर्ष के कर फायदे का उपबंध करती है।

धारा 80 झक की उपधारा (4) का खंड (v) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अन्तर्गत किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और विद्युत उत्पादन संयंत्र की पुनःनिर्माण या पुनरुद्धार के लिए स्थापित उपक्रम दस वर्ष के लिए कर फायदे का पात्र है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-

- (क) ऐसी कंपनी बहुमत साम्य सहभागिता द्वारा 30.11.05 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत पैदा करने वाले संयंत्र का स्वामित्व रखने वाली कंपनी के देनदारों के प्रतिभूति हितों को प्रवृत्त करने वाली कंपनियों द्वारा बनाई गई हो;
- (ख) ऐसी भारतीय कंपनी केन्द्रीय सरकार द्वारा 31.12.05 से पहले अधिसूचित की गई हो; और
- (ग) उपक्रम 31 मार्च, 2007 से पूर्व विद्युत पैदा करना या पारेषित करना या वितरित करना आरम्भ कर देता है।

विद्युत पैदा करने वाले संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए विद्युत पैदा करने या पारेषित करने या वितरित करने की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2008 से पूर्व तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

किसी उपक्रम द्वारा क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और इसका प्रचालन करने के मामले में कटौती

धारा 80 झक के विद्यमान उपबंध कतिपय ऐसे उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों के संबंध में 10 वर्ष के लिए शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध करते हैं जो अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास प्रचालन तथा अनुसंधान या विद्युत पैदा करने, वितरण करने या पारेषण आदि के कारबार में लगे हुए हैं। उक्त धारा 80 झक की उपधारा (4) ऐसी कटौती के लिए पात्र कार्यकलापों को विनिर्दिष्ट करती है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गैस पाइपलाइनों पर सहायकी एलपीजी पर विद्यमान सहायकी का प्रतिस्थापन करने में समर्थ होगी। धारा 80 झक की उक्त उपधारा (4) में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइप लाइन और भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो नेटवर्क का अभिन्न अंग है, बिछाने और उसके प्रचालन का कारबार करने वाला कोई उपक्रम, उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा यदि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है; उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; उसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है; उसने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन करना आरंभ किया है और ऐसी विहित अन्य शर्तों को पूरा करता है।

प्रस्तावित खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, “सहयुक्त व्यक्ति” पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कटौती, 15 वर्षों की अवधि में से जो उस वर्ष से आरम्भ होती है जिसमें कोई उपक्रम क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना और वितरण करना आरम्भ करता है, से 10 वर्षों की लगातार अवधि के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई उपक्रम जो पुराने संयंत्र और मशीनरी (कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए) का पुर्ननिर्माण करके या विभाजित करके या नए कारबार को अंतरित करके बनाया जाता है, धारा 80 झक के अधीन उपरोक्त कटौती का पात्र नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। [खंड 22]

धारा 80 झख (4) के अधीन कर फायदे के प्रयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए समय सीमा का विस्तार

धारा 80 झख की उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अपने शीतागार संयंत्र अथवा संयंत्रों का प्रचालन करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, ऐसे औद्योगिक उपक्रम से पांच निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत और उसके पश्चात् अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत (या किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) कटौती के लिए पात्र हैं। यह कटौती आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट मदों और चीजों, जिनका ऐसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए, नकारात्मक सूची के अध्ययधीन होगी।

जम्मू-कश्मीर ऐसे औद्योगिक विकास का संवर्धन करने के लिए, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की सीमांत तारीख और राज्य में हकदार कारबार आरम्भ करने की तारीख को पांच और वर्षों अर्थात् 31.3.07 से 31.3.12 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 23]

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों को कर छूट

2010 में देश द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने पर आने वाले आगंतुकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में होटल के कमरे उपलब्ध कराने के लिए और कन्वेंशन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक नई धारा 80 झघ अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटल और कन्वेंशन केन्द्रों के कारबार से से लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल समग्र आय में होटल कारबार या कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण करने, स्वामित्व और प्रचालन से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों की शतप्रतिशत कटौती, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ हो कर पांच क्रमिक वर्षों तक अनुज्ञात होगी।

यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा ऐसे किसी भी उपक्रम पर लागू होगी जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का 1 अप्रैल 2007 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सन्निर्माण किया जाता है या कृत्य करना आरम्भ कर देता है या ऐसे कन्वेंशन केन्द्रों को जो 1 अप्रैल 2007 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सन्निर्माण किया जाता है या कृत्य करना आरम्भ कर देता है। सन्निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन में लगा हुआ है तथा जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित है।

प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के लिए उपक्रम द्वारा पूरा किए जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट करने का भी प्रस्ताव है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, अध्याय 6क में अन्तर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10 कक के अधीन उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 80-झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से (11) में अंतर्विष्ट उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे।

प्रस्तावित नई धारा के प्रयोजनों के लिए “कन्वेंशन सेंटर्स”, “आरंभिक निर्धारण वर्ष”, “होटल” और “विनिर्दिष्ट क्षेत्र” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा, तीन सितारा और चार सितारा प्रवर्ग का होगा और विनिर्दिष्ट क्षेत्र से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुडगांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अभिप्रेत होंगे।

धारा 80-कग का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित धारा 80-झघ के अधीन तब तक कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक कि निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी फाइल न कर दे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18 और खंड 24]